कार्यालय जिला दंडाधिकारी, जिला खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 10486 /सा.ले./2021 खरगोन, दिनांक 10 /08/2021

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन गृह विभाग, भोपाल से प्राप्त निर्देश पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 दिनांक 10 जुलाई, 2021 के पालन में एवं आपदा प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 15.07.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार मैं बी.एस. सोलंकी, अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन एतद व्दारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दिनांक 20.08.2021 तक के लिए निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ:-

1. सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन/ मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता हैं, प्रतिबंधित रहेंगे ।
2. समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे । ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी । प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे ।
3. सभी धार्मिक/पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) में स्थान उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा/अर्चना कर सकेंगे । इस बाबत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी प्रोटोकाल का पालन धार्मिक/ पूजा स्थल के प्रबंधन को कराना बंधनकारी होगा । शेष स्थानों पर शासन के पूर्व आदेश दिनांक 14.07.2021 की कंडिका 11 अनुसार **"रूल ऑफ सिक्स"** लागू रहेगा।
4. समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम मण्डल के कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेगें । सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेक्सीनेशन कराना आवश्यक है । ऐसे सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों जिनका वेक्सीनेशन नहीं हुआ है वो विभाग वेक्सीनेशन से शेष रहे अधिकारियों /कर्मचारियों की सूची संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उपलब्ध कराते हुए वेक्सीनेशन शेड्युल करायेंगे ।
5. समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय 8.00 बजे तक खुल सकेंगें। सभी सिनेमा घर, थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे । सिनेमा घर संचालक कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराना होगा । स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे ।
6. समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी ।
7. जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे ।
8. समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगें ।
9. समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें । समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे ।
10. विवाह आयोजनों में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी । विवाह आयोजनों में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली जाना आवश्यक है । इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अतिथियों के नामों की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा । विवाह समारोह में जिले से बाहर से आने वाले व्यक्ति अपने साथ दो दिन

पूर्व की आरटीपीसीआर/आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आवेंगे। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सविर्लेंस टीमों का गठन कर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ।

11. अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार/ मृत्यु भोज की अनुमति रहेगी ।

12. जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर निर्णय एवं चर्चा में लिया गया है कि समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के रोकथाम के प्रोटोकाल के शर्तो का पालन करते हुए रविवार को लगाया गया लाकडाउन को समाप्त किया जाता हैं । अनुमत्य गतिधियां जैसे, समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोले जा सकेंगें ।

13. प्रतिदिन रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा ।

14. अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा ।

15. मास्क (पूर्ण रूप से मूंह एवं नाक ढके हुए) नहीं पहनने पर ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 50/- एवं शहरी क्षेत्रों में रूपये 100/- जुर्माना रहेगा । यात्री बसों में यदि यात्री बगैर मास्क के पाये जाते है तो रूपये 5000/- का जुर्माना बस मालिक पर रहेगा । इसी प्रकार ऑटो रिक्शा में भी बगैर मास्क यात्री पाये जाने पर ऑटो मॉलिक पर रूपये 1000/- का जुर्माना रहेगा । दुकानदारों पर भी बगैर मास्क ग्राहक एवं दुकानदार पाये जाने पर रूपये 1000/- जुर्माना रहेगा ।

16. दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे । दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बाहर कोई सामान नहीं रखेंगे । दुकानों के सामने रास्ते एवं फुटपाथ पर आवागमन सुगम रखेंगें । दुकानों के सामने गोले अनिवार्य रूप से बनाकर सोशल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित करेंगे । दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से हो । "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा । दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे । यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करते हुए रूपये 1000/- का जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

17. कोई भी ठेला दुकानें अन्य दुकानों के सामने नहीं खडी रहेंगी जिससे ट्रेफिक बाधित हो और रास्तों पर भीड़ न हो ।

18. खरगोन जिले की सीमाओं में बाहर के जिलों / राज्य से आने वाले व्यक्ति सात दिवस के लिये होम क्वारन्टाईन रहेंगे ।

19. अन्तराज्यीय (inter state) तथा राज्यांतरिक (intra state) व्यक्तियों, माल (goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा ।

20. जिन ग्रामों में कोविड-19 के active cases पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हे रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया हैं । रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के Micro containment zone/ Containment zone में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व्दारा जारी दिशा- निर्देशों (guidelines) के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेगी ।

21. कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप, यू-टयूब, टिकटॉक, इन्स्टाग्राम इत्यादि) पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबर वीडियों, ऑडियों, फोटो मीम इत्यादि न ही स्वयं भेजेगें व न ही शेयर/ फॉरवर्ड करेंगे ।

(अ) जो असत्य हो व जिसके तथ्यों की पुष्टि नही की गई हो ।

(ब) जो किसी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक (derogatory) व भेदभावपूर्ण (discriminatory) हो

(स) जो आम जनता में पैनिक या भय व संशय/ भ्रांति (Confusion) की स्थिति पैदा करें, उनके विरूद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

23. परिशिष्ट- 1 में संलग्न कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) का पालन समस्त जन करें, इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान सतत चलाया जावें ।

परिशिष्ट- 1

कोविड- 19 प्रोटोकाल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/ अनुशासन

1. मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य (inter state) एवं राज्यांतरिक (Intra State) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा । अंतर राज्य (Iner State) मार्गो पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये ।
2. दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे । "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा । दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे । यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये ।
3. अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 100 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्ड वाश/ सैनिटाईजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें, इसे

4.1 फेस मास्क (Face Mask) : फेस मास्क पहनना एवक आवश्यक निवारक उपाय हैं । फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए-

- अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही उसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें ।
- सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें ।
- जब आप किसी मास्क को उतारते है, तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें । कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें ।

सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । "नो मास्क नो मूवमेन्ट" का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावें ।

4.2 सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें । (Stay at home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें (Social distancing) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सकें ।

सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी ("2 गज की दूरी") बनाये रखेगा । भीड़- भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं । कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों व्दारा श्रमिकों/ कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये ।

सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोंयें/ सैनिटाइजर का उपयोग करें ।

Containment zone में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

यह आदेश आम जनता को संबोधित हैं। चूँकि वर्तमान मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावें । अतः आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता हैं। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छुट दे सकेगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश आज दिनांक 10/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

उक्त आदेश दिनांक 20.08.2021 तक प्रभावशील रहेगा ।

// जिला दण्डाधिकारी व्दारा अनुमोदित //

(बी.एस.सोलंकी)
अपर जिला दंडाधिकारी,
जिला-खरगोन (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/10487/सा.ले./2021 खरगोन, दिनांक/10/08/2021

प्रतिलिपि-:

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
2. आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर रेंज इंदौर ।
4. उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन की ओर भेजकर लेख है कि आदेश की मुनादी / चस्पदगी जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में उचित माध्यम से करावे ।
7. अपर जिला दंडाधिकारी, जिला खरगोन ।
8. अति.पुलिस अधीक्षक, शहरी/ ग्रामीण जिला खरगोन ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खरगोन ।
10. अति.क्षेत्रीय परिवहन अधि.खरगोन की ओर उक्त आदेश का कढ़ाई से पालन कराया जाने हेतु ।
11. अनुविभागीय दंडाधिकारी (समस्त)............................की ओर जारी आदेश का कढ़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें ।
12. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस(समस्त..............................जिला खरगोन ।
13. तहसीलदार (समस्त).......................थाना प्रभारी (समस्त)........................की ओर जारी आदेश का कढ़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें ।
14. मुख्य नगरपालिका अधिकारी (समस्त)..................................।
15. सहायक संचालक, जनसंपर्क खरगोन की ओर समस्त स्थानीय न्यूज पेपर में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
16. स्टेनो टू कलेक्टर, खरगोन ।

अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला-खरगोन म.प्र.